

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**// आ दे श //**

भोपाल, दिनांक २६/११/२०१९

क्रमांक एफ-५(ए)/६/२०१९/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, २०१८ अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में ०६ वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक ०८.०२.२०१९ एवं परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक ०१.०५.२०१९ में विचार किया गया था तथा जिन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे उन्हें परिभ्रमण में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर दिनांक २३.१०.२०१९ को परिभ्रमण चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के लिये विचार किया गया।

२ विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम २०१७ में विनिर्दिष्ट लेवल १२ में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम ४ में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम २०१७ में विनिर्दिष्ट लेवल १३ में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमांक
१	२	३	४
१	श्री अरूण कुमार ब्यौहार	लेखा अधिकारी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर	दिनांक ०६.१०.२०१८ से
२	श्री अनिल कुमार खरे	वित्त नियंत्रक, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर	दिनांक ०१.०१.२०१९ से
३	श्री विष्णु कुमार गुप्ता	प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला इंदौर	दिनांक ०१.०१.२०१९ से
४	श्री अशोक श्रीवास	सहायक संचालक, कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर	दिनांक ०१.०१.२०१९ से
५	श्री कमल कुमार पाठक	लेखा अधिकारी, एम.पी.आर.आर.डी.ए., धार-१	दिनांक ०१.०१.२०१९ से
६	श्री हेमन्त जोशी	सहायक संचालक, कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन	दिनांक ०१.०१.२०१९ से


३

7	श्री आदित्य कुमार नागर	लेखा अधिकारी, एम.पी.आर.आर.डी.ए., उज्जैन-2	दिनांक 01.01.2019 से
8	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट	दिनांक 01.01.2019 से
9	श्री प्रेमनारायण कोरी (अजा)	लेखा अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर	दिनांक 01.01.2019 से
10	श्री दिनेश कुमार कोरी (अजा)	लेखा अधिकारी जिला पंचायत सिवनी	दिनांक 01.01.2019 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान की तिथि एवं वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने की तिथि से होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(अजय चौबे)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/6/2019/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26/11/2019

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टॉफ ऑफीसर,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विधि विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
4. सचिव, वित्त के निज सहायक
5. आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. आयुक्त संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, विधि, भोपाल
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास अभिकरण भोपाल
8. रजिस्ट्रार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर,
9. कलेक्टर बालाघाट सिवनी, अशोकनगर,
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी, अशोकनगरराजगढ़,शयोपुर,
11. महा प्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, धार-1, उज्जैन-2,
12. डीन, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर,
13. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर/जबलपुर/भोपाल/उज्जैन/रीवा/सागर/ग्वालियर
15. प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला इंदौर,
16. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छतरपुर, सिवनी, उज्जैन, धार, जबलपुर, अशोकनगर,बालाघाट,
17. संबंधित अधिकारीगण.....  
के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।
18. गार्ड फाईल.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग